[2018] 2 एस. सी. आर. 1106

एशियन रिसर्फ़िंग रोड एजेंसी पी. लिमिटेड और अन्य

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(आपराधिक अपील संख्या 1375-1376 वर्ष 2013)

अप्रैल 25, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्तिगढ़]

भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 - धारा 19 (3) (सी) - अधिनियम 1988 के तहत आदेश आरोप विरचित के खिलाफ चुनौती देने में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार - आयोजितः तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के मद्देनजर 28 मार्च, 2018 में सूचीबद्ध [2018] 2 एस. सी. आर. 1045 और अभिलेखों पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, आरोप विरचित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं है - इसके पहले लंबित मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए विचाराधीन न्यायालय।

अभ्यास और प्रक्रिया - अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अभिलेखों का सम्मन - अभिनिर्धारित : जहां भी मूल रिकॉर्ड को अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सम्मन किया गया है, उसी की फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति उसके संदर्भ के लिए रखी जा सकती है और मूल को तत्काल विचाराधीन न्यायालयों में वापस भेजी जाएगी - यदि भविष्य में विचाराधीन न्यायालय के अभिलेखों को तलब किया जाता है, तो विचाराधीन न्यायालय अभिलेखों की फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति भेज सकते हैं और मूल को बरकरार रख सकते हैं ताकि कार्यवाही न हो सके - ऐसे मामलों में जहां विशेष रूप से मूल अभिलेखों में यह धारण करने के लिए आवश्यक है कि फोटोकॉपी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय केवल अभिलेखों के लिए तलब कर सकती है और उसी की फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति रखते हुए वापस कर सकती है।

क्रिमिनल अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील संख्या 1375-1376 वर्ष 2013।

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा क्रिमिनल डब्ल्यू. पी. संख्या 352 वर्ष 2010 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.03.2011 और 07.04.2011 से।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री तातिनी बसु, एस. एस. शमशेरी, सुश्री किरण भारद्वाज, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सुश्री बीनू तमता, वीवी पट्टाभि राम, सुमित तेतरवाल, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री बीवी बलराम दास, अशोक के. महाजन, सेंथिल जगदीश, अमरजीत सिंह बेदी, सर्वेश सिंह बघेल, अधिवक्तागाढ़ उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

<u>आदेश</u>

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के 28 मार्च, 2018 के फैसले के मद्देनजर और अभिलेखों पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, हमें आरोप विरचित के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं मिला।
3. तदनुसार, विचाराधीन न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले को उसके समक्ष लंबित रखे। पक्षकारों की सभी दलीलों को खुला छोड़ दिया जाता है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा विचारित किया जा सकता है। पार्टियों को 14 मई, 2018 को विचाराधीन न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
4. ऊपर उल्लिखित 28 मार्च, 2018 के इस न्यायालय के निर्णय में निर्देशों को प्रभावी करने के लिए, हम यह निर्देश देते हैं कि जहां भी मूल अभिलेख एक अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, उसी की फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति उसके संदर्भ के लिए रखी जा सकती है और मूल को परीक्षण न्यायालयों में तत्काल वापस आ गए।
5. हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि भविष्य में विचाराधीन न्यायालय अभिलेख तलब किया जाता है, तो विचाराधीन न्यायालय अभिलेख की फोटोकॉपी/स्कैन की गई कॉपी भेज सकते हैं और मूल को बरकरार रख सकते हैं ताकि कार्यवाही न हो। ऐसे मामलों में जहां विशेष रूप से मूल अभिलेख की आवश्यकता होती है कि फोटोकॉपी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय केवल अभिलेख के लिए तलब कर सकती है और उसी की फोटोकॉपी/स्कैन की गई प्रति रखते हुए वापस कर सकती है।
6. इस आदेश की प्रति सभी उच्च न्यायालयों को भेजी जानी चाहिए।

अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील निस्तारित।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय